

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-45/2017-18/ 4 /मत्स्य, राँची, दिनांक 15.4.17

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

विषय-

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत कुल मो0 890.00 लाख (आठ करोड़ नब्बे लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में रियरिंग तालाब का निर्माण योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 03 दिनांक 08.04.2016 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं0 91 दिनांक 08.04.2016 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में माँग संख्या-53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 190 दिनांक 11.4.17 द्वारा रियरिंग तालाब का निर्माण योजना की कुल मो0 890.00 लाख (आठ करोड़ नब्बे लाख) रू0 मात्र की अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में न्यूनतम 50 डी0 तथा अधिकतम दो एकड़ तक के जलक्षेत्र के तालाबों का निर्माण किया जाना है। एक लाभुक को अधिकतम दो एकड़ का लाभ दिया जा सकेगा।

2. राशि का अनुमानित व्यय निम्न बजट शीर्षों में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट
1	2	3
1	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य 53 S 440500796640545	350.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण- 45- निर्माण कार्य 53 S 440500789640545	150.00
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य 53 S 440500101640545	390.00
कुल योग :		890.00

मो0 890.00 लाख (आठ करोड़ नब्बे लाख) रू0 मात्र।

3. (क) इस योजना अंतर्गत मशीन द्वारा एक एकड़ के तालाबों के निर्माण हेतु मॉडल इकाई लागत मो० 3.00 लाख रु० मात्र आकलित की गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राशि लगेगी उसका व्यय भार वहन लाभुक के द्वारा किया जायेगा। तालाबों के निर्माण हेतु कुल लागत मॉडल इकाई लागत से कम होने पर अनुदान लागत के आधार पर दिया जायेगा।

(ख) इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के लाभुकों के तालाब निर्माण हेतु राज्य सरकार का अंशदान 90 प्रतिशत तथा लाभुक का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत तथा लाभुक का अंशदान 20 प्रतिशत होगा।

4. नए तालाब निर्माण हेतु लाभुकों के चयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :

4.1 लाभुकों का चयन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनो में से अथवा सिंगल विंडो से प्राप्त आवेदनो में से जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।

4.2 लाभुकों का चयन निम्न अहर्ताओं के आधार पर किया जायेगा :-

4.2.1 जिन लाभुकों के घर के नजदीक प्रस्तावित एक, दो या तीन नम्बर की दोन जमीन है तथा पूर्व से मछली पालन के कार्य से जुड़े हैं अथवा जिन्होंने विभागीय अनुदान पर मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण कराया है, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

4.2.2 तालाब निर्माण हेतु लाभुक द्वारा प्रस्तावित भूमि अविवादित होनी चाहिए तथा न्यूनतम 50 डी० जलक्षेत्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि कम-से-कम 70 डी० एवं इससे बड़े तालाबों के लिए जलक्षेत्र एवं आवश्यक भूमि का अनुपात कम-से-कम 1:1.3 होना चाहिए।

4.2.3 लाभुक द्वारा प्रस्तावित भू-खण्ड पर उसका वैध दखल कब्जा बरकरार हो, जिसका कागजात संलग्न करना होगा।

4.3 उपयुक्त भूमि एवं लाभुकों का पारदर्शी तरीके से चयन कराने एवं प्रस्तावित भूमि पर पूर्व से किसी प्रकार का तालाब निर्माण का कार्य नहीं किया गया हो की पूरी जिम्मेवारी संबंधित प्रभारी मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

4.4 लाभुक द्वारा प्रस्तावित भू-खण्ड पर कार्य शुरू होने से पूर्व प्रस्तावित भू-खण्ड का लाभुक सहित फोटोग्राफ संलग्न करना होगा, जो अभिलेख का अभिन्न अंग होगा।

5. लाभुक का अंशदान सुनिश्चित करने के लिए ले-आउट तथा समानुपातिक खुदाई का व्यय लाभुक के अंशदान से किया जाये

6. नये तालाबों का निर्माण, लाभुक के द्वारा स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप मशीन/मजदूर के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा नामित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के मार्ग-दर्शन में कराया जायेगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल की अंतिम मापी के पूर्व कम-से-कम दो बार कनीय अभियंता द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाये। अंतिम मापी की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कनीय अभियंता की होगी।

7. तालाब की मेड़ का सुदृढीकरण एवं घास तथा छोटे पौधे आदि लगाने का कार्य लाभुक के द्वारा अपने अतिरिक्त व्यय पर कराया जायेगा ताकि बरसात में तालाब की मेड़ से मिट्टी तालाब में न जाने पाए। इस क्रम में पानी की प्रविष्टि हेतु इनलेट तैयार करने पर विशेष ध्यान लाभुक द्वारा दिया जाएगा।

संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, लाभुकों के तालाब निर्माण का स्थल निरीक्षण करेंगे एवं इस प्रयोजन हेतु संधारित स्थल निरीक्षण पंजी में प्रविष्टि करेंगे।

8. तालाब निर्माण कार्य स्थल पर सुगोचर स्थान पर सूचना पट्ट लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम/वर्ष/प्राक्कलित राशि/अनुदान राशि/लाभुक का नाम एवं स्थान अंकित रहेगा। इसके अलावा निर्माण कार्य आरंभ

04
15.4.17

Form

Amal

करने के पूर्व एवं प्रत्येक 15 दिन पर फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराया जाए। सूचना पट्ट का व्यय लाभुक द्वारा किया जायेगा।

9. उपर्युक्त क्रम में मशीन द्वारा एक एकड़ क्षेत्रफल के छः फीट गहरे नए तालाब निर्माण कराए जाने हेतु मो0 3.00 लाख रू0 का मॉडल प्राक्कलन तैयार कराया गया है जिस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10. नए तालाबों के निर्माण हेतु जिलावार एवं उप शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न रूप से है :

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य रियरिंग तालाब निर्माण योजना का लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	789-अ0 जा0 - भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	789-अ0 जा0 - वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	796-ज0 क्षे0 - भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	796-ज0 क्षे0 - वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	101-अन्य - भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	101-अन्य - वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	समग्र भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रौंची	3	8.10	14	37.80	0	0.00	45.90	17.0
2	खूँटी	1	2.70	10	27.00	0	0.00	29.70	11.0
3	चाईबासा	2	5.40	12	32.40	0	0.00	37.80	14.0
4	सरायकेला	3	8.10	10	27.00	0	0.00	35.10	13.0
5	जमशेदपुर	2	5.40	10	27.00	0	0.00	32.40	12.0
6	गुमला	2	5.40	11	29.70	0	0.00	35.10	13.0
7	सिमडेगा	1	2.70	8	21.60	0	0.00	24.30	9.0
8	लोहरदगा	2	5.40	8	21.60	0	0.00	27.00	10.0
9	लातेहार	2	5.40	8.5	23.30	0	0.00	28.70	10.5
10	दुमका	3	8.10	10	27.00	0	0.00	35.10	13.0
11	साहेबगंज	3	8.10	10	27.00	0	0.00	35.10	13.0
12	पाकुड़	3	8.10	10	27.00	0	0.00	35.10	13.0
13	जामताड़ा	2	5.40	8	21.60	0	0.00	27.00	10.0
14	हजारीबाग	3	8.10	0	0.00	15	38.25	46.35	18.0
15	रामगढ़	2	5.40	0	0.00	10	25.50	30.90	12.0
16	कोडरमा	2	5.40	0	0.00	10	25.50	30.90	12.0
17	चतरा	3	8.10	0	0.00	10	25.50	33.60	13.0
18	बोकारो	2	5.40	0	0.00	16	40.80	46.20	18.0
19	गिरिडीह	2	5.40	0	0.00	10	25.50	30.90	12.0
20	धनबाद	3	8.10	0	0.00	10	25.50	33.60	13.0
21	गोड्डा	2	5.40	0	0.00	15	38.25	43.65	17.0
22	पलामू	2	5.40	0	0.00	15	38.25	43.65	17.0
23	गढ़वा	1.5	4.20	0	0.00	10	25.50	29.70	11.5
24	देवघर	4	10.80	0	0.00	32	81.45	92.25	36.0
कुल :		55.5	150.00	129.5	350.00	153	390.00	890.00	338.0

04
15/4/17

(Signature)

(Signature)

11. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्य की प्रगति के अनुसार कम से कम तीन किस्तों में निम्न प्रकार से राशि विमुक्त करेंगे :

किस्त	राशि (रुपये में)	भौतिक प्रगति
प्रथम	50,000/-	एक फीट खुदाई
द्वितीय	1,50,000/-	तीन फीट खुदाई
तृतीय	अनुदान की शेष राशि	पूरा छः फीट खुदाई एवं ड्रेसिंग इत्यादि के पश्चात्

12. जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा व्यय की जाने-वाली राशि लाभुको के बैंक खाते में अधिकतम तीन किस्तों में हस्तांतरित की जायेगी तथा अंतिम किस्त तालाब पूर्ण होने पर ही संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा विमुक्त की जाएगी।

13. स्थल निरीक्षण के उपरांत, स्थल विशेष के अनुरूप भी अलग से योजना प्राक्कलन तैयार कराया जा सकता है, ताकि तालाब निर्माण का कार्य उचित तकनीकी मार्ग-दर्शन में सुगमता से कराया जा सकेगा।

किन्तु किसी भी हाल में स्वीकृत समानुपातिक प्राक्कलित राशि से अधिक राशि की विमुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

अतिरिक्त राशि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

14. एक एकड़ रकबा के तालाब निर्माण का अर्थ एक एकड़ जलक्षेत्र के निर्माण से है।

15. जिला मत्स्य पदाधिकारी इसके लिये तकनीकी सलाह लिखित रूप में लाभुकों को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों में इस योजना हेतु अलग से एक पंजी संधारित की जाएगी।

16. तालाब निर्माण के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा।

17. योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण की गुणवत्ता मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप कराना संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। चयन के उपरान्त लाभुक के द्वारा तालाब निर्माण में शिथिलता बरतने अथवा अपना अंशदान नहीं लगाने पर उन्हें काली सूची में डालने की कार्रवाई जाएगी।

18. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही ~~कोई भी राशि~~ आबंटन निर्गत किया जाएगा।

19. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/चाईबासा/जमशेदपुर/गुमला/लोहरदगा/दुमका/साहेबागंज/हजारीबाग/चतरा/बोकारो/गिरिडीह/धनबाद/गोड्डा/पलामू/गढ़वा एवं देवघर जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूंटी/सरायकेला/सिमडेगा/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/रामगढ़ एवं कोडरमा होंगे, जो जिलों को दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आबंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

20. वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब-तक कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 1479.00 लाख रु0 मात्र में मो0 1304.00 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है।

21. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

22. यह एक राज्य योजना है।

23. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, आरखण्ड, राँची तथा विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

24. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आबंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।


04
15/4/17

(Signature)

(Signature)

25. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं०-सी०एस०-२/आर०-०१-२००५-३०२ दिनांक ११ मार्च, २०१५ के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
26. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
27. वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत ही व्यय होगा।
28. इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्य अवयवों का दोहरीकरण नहीं हो।
29. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।
30. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
31. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ०४ मत्स्य / राँची , दिनांक १५.५.१७

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/5/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ०४ मत्स्य / राँची , दिनांक १५.५.१७


प्रतिलिपि योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/5/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ०४ मत्स्य / राँची , दिनांक १५.५.१७

प्रतिलिपि माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।




15/5/17

सरकार के सचिव